

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 34 / 2025(GCMS : 2025/40)

पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर जरिये श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केंद्र प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

श्री सुमित कुमार पुत्र श्री मोती राम

1. 7-ई केदार कॉलोनी, वार्ड नं. 9, चक 4 एमएल, श्रीगंगानगर (राज.)  
- 335001
2. फ्लैट नं. 124, ब्लॉक डी, तृतीय तल, ड्रीम होम्स, एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने, श्रीगंगानगर (राज.)-335001



04.03.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा एवं आकश मेहर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी सुमित कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 9,12,660/-रुपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 23.09.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 30.10.2024 को 9,46,102/-रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुमित कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी आवासीय सम्पत्ति स्थित एलआईजी फ्लैट नं. 124, तृतीय तल ब्लॉक डी, चक 3 एमएल, ड्रीम होम्स, एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के समाने, हनुमानगढ़-सूरतगढ़ बाईपास रोड़, श्रीगंगानगर, बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 382.71 वर्गफुट है। (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएँ : पूर्व - एलआईज फ्लैट नं. 123, ब्लॉक डी, पश्चिम -ओपन टु स्काइ, उत्तर- रास्ता व सीढियां एवं दक्षिण ओपन टु स्काइ) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

*Darshi*  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी सुमित कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 9,12,660/- रुपये (अखरे रुपये नौ लाख बारह हजार छः सौ साठ मात्र) की स्वीकृति दिनांक 23.09.2022 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ने अपनी आवासीय सम्पत्ति स्थित एलआईजी फ्लैट नं. 124, तृतीय तल ब्लॉक डी, चक 3 एमएल, ड्रीम होम्स, एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के समाने, हनुमानगढ़-सूरतगढ़ बाईपास रोड़, श्रीगंगानगर, बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 382.71 वर्गफुट है। (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएँ : पूर्व - एलआईजी फ्लैट नं. 123, ब्लॉक डी, पश्चिम - ओपन टु स्काइ, उत्तर- रास्ता व सीढ़िया एवं दक्षिण ओपन टु स्काइ), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 23.09.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गयी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सुमित कुमार की आवासीय सम्पत्ति स्थित एलआईजी फ्लैट नं. 124, तृतीय तल ब्लॉक डी, चक 3 एमएल, ड्रीम होम्स, एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के समाने, हनुमानगढ़-सूरतगढ़ बाईपास रोड़, श्रीगंगानगर, बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 382.71 वर्गफुट है। (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएँ : पूर्व - एलआईजी फ्लैट नं. 123, ब्लॉक डी, पश्चिम -ओपन टु स्काइ, उत्तर- रास्ता व सीढ़िया एवं दक्षिण ओपन टु स्काइ), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.11.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 05.11.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.11.2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुमित कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति स्थित एलआईजी फ्लैट नं. 124, तृतीय तल ब्लॉक डी, चक 3 एमएल, ड्रीम होम्स, एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के समाने, हनुमानगढ़-सूरतगढ़ बाईपास रोड़, श्रीगंगानगर, बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 382.71 वर्गफुट है। (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व - एलआईजी फ्लैट नं. 123, ब्लॉक डी, पश्चिम -ओपन टु स्काइ, उत्तर- रास्ता व सीढ़िया एवं दक्षिण ओपन टु स्काइ), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Mansu)  
(डॉ. मन्जू)  
जिला मजिस्ट्रेट-  
श्रीगंगानगर